न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 238/2021 दायर दिनॉक 01.09.2021

वादी

1. बोदुराम उर्फ बोदुलाल पुत्र नारायणराम जाति जागिड़, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गोविन्द पुत्र नारायणराम,
2. विमला पत्नि ओंकारमल,
3. पिंकी पुत्री ओंकारमल,
4. गोरव पुत्र ओंकारमल,
5. राहुल पुत्र ओंकारमल, समस्त जाति जांगिड़,
6. रेखा देवी पत्नि रमेश कुमार, जाति ब्राहाम्ण, समस्त निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना
7. नेमीचन्द पुत्र बिड़दाराम, जाति जाट, निवासी चाण्डी, तहसील मकाराना
8. तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 29.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 गोविन्द व प्रतिवादी नम्बर 04 व 05 के पिता ओंकारमल तीनो सगे भाई है तथा वादी के भाई ओंकारमल की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 है जो एक ही परिवार के है। खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.10 बीघा वाके मौलासर स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी व कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 7 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.13 बीघा वाके मौलासर का विक्रय दिनॉक 03.06.1993 को बोदुराम, ओंकारमल, गोपालराम पिता नारायणराम, बेगाराम पुत्र जवाहरमल, जाति जागिड़ को बहैसियत स्वयं व बहैसियत खास मुखत्यार गोविन्द नारायण गग्गड़, कल्यामल गग्गड़ व सम्पत कुमार गग्गड़, पिसरान रामेश्वर गग्गड़, निवासीगण मौलासर द्वारा विक्रय कर क्रेतागण को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था, इन क्रेतागण ने खसरा संख्या 63 रकबा 2.13 बीघा में से तीन बिस्वा का बेचाण जुगल किशोर शर्मा को कर दिया था, जिसके बाद जमाबन्दी में वर्तमान में 2.10 बीघा दर्ज है, विक्रय पत्र की नकल वाद के साथ पेश है। तथा क्रेता बेगाराम ने अपने हिंस्से की भूमि का बेचाण गोविन्दराम पुत्र नारायणराम को कर दिया तथा क्रेता गोपाललाल ने अपने हिंस्से की भूमि ईद मोहम्मद पुत्र सुबराती, जाति मणियार, निवासी लादड़िया को बेच दी थी तथा ईद मोहम्मद ने नेमीचन्द पुत्र बिड़दाराम, जाति जाट, निवासी चाण्डी को बेच दी तथा नेमीचन्द ने 2/25 [illegible] बेचाण रेखा देवी पत्नि रमेश कुमार को बेच दी। जिसके कारण [illegible] उक्त [illegible] के खातेदार वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 07 रहे [illegible] वर्षो पूर्व ही उक्त खेत का मौखिक बंटवारा कर [illegible] अनुसार उक्त खेत का उतरी 1/4 हिस्सा अर्थात 12.5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नम्बर 06 व 07 के बंट व कब्जा काश्त में आया, [illegible] प्लॉट खाली पड़ा है, तथा प्रतिवादी नम्बर 06 व 07 के चिपता ही दक्षिण में प्रतिवादी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

01 गोविन्दराम के 1/4 हिंस्सा अर्थात 12.5 बिस्वा तथा गोविन्दराम के चिपते ही दक्षिण में 1/4 हिंस्सा अर्थात 12.05 बिस्वा भूमि दक्षिणी वादी बोदुराम के बंट में आयी, तथा दक्षिणी 1/4 हिंस्सा अर्थात 12.5 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 के बंट में आया। वादी ने अपने हिंस्से में रिहायशी मकान बना लिया है, जिसमें सपरिवार निवास करता है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 गोविन्दराम ने भी अपने बंट के हिंस्से में मकान बना रखे है तथा प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 ने भी अपने बंट के हिंस्से में मकान बनाकर सपरिवार रह रहे है। तथा चारो ही हिस्सो के बीच दीवार निकालकर अलग अलग बंटवारा कर अलग अलग हिंस्सो पर काबिज है। इस बंटवारा को वादी ने अपने नजरी नक्श में दर्शाया है, जो वाद का भाग है, नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। तथा पक्षकारान ने उक्त भूमि का मौखिक बंटवारा तो बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा रहती है, ऐसी स्थिति में वादी उक्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा करवाना चाहता है। जिसका कि वह कानूनन हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादी, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है ताकी प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी, बंट व कब्जा के हिंस्से में किसी प्रकार का दखल नहीं करें, इस बाबत वादी उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 शकुनत पर हाजिर नहीं होने से उन्हे प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है, उनसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गयी।

विद्वान अधिवक्ता की सारगर्भित बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौलासर के वर्तमान खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.10 बीघा भूमि को वाद के फिकरा संख्या 04 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किये जाते है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो। वाद के साथ पेश नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 29.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 238/2021

दायर दिनाँक 01.09.2021

वादी

1.बोदुराम उर्फ बोदुलाल पुत्र नारायणराम जाति जागिड़, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गोविन्द पुत्र नारायणराम,
2. विमला पत्नि ओंकारमल,
3. पिंकी पुत्री ओंकारमल,
4. गोरव पुत्र ओंकारमल,
5. राहुल पुत्र ओंकारमल, समस्त जाति जांगिड़,
6. रेखा देवी पत्नि रमेश कुमार, जाति ब्राहाम्ण, समस्त निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना
7. नेमीचन्द पुत्र बिड़दाराम, जाति जाट, निवासी चाण्डी, तहसील मकाराना
8. तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 29.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौलासर के वर्तमान खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.10 बीघा भूमि को वाद के फिकरा संख्या 04 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किये जाते है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो। वाद के साथ पेश नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:48 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner